

कार्यालय परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड,
कुल्हान, सहस्त्रधारा रोड़, देहरादून।

संख्या— /TR/23-V(2)/सी0एन0जी0किट/2021

दिनांक 09-मार्च, 2021

आदेश

केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम 115 बी में in use वाहनों में सी0एन0जी0 किट लगाये जाने की व्यवस्था की गयी है। इस सम्बन्ध में कार्यालय ज्ञाप संख्या—3460/टी0आर0/5/CNGKIT/2019-2020 दिनांक 04-11-2019 के द्वारा सी0एन0जी0 किट के रिट्रोफिटमेंट हेतु अनुमोदन की प्रक्रिया निर्धारित की गयी है, जिसके अन्तर्गत M/s Anoop Industries द्वारा केन्द्रीय मोटरयान नियमावली 1989 के नियम 126 में वर्णित टेस्टिंग एजेंसी ICAT, Manesar द्वारा चार्ज के अनुरूप होने के प्रमाण संख्या—CAOA-0235 Dated 20th Feb 2019, & Layout Plan Approval Certificate no CAO-0235 L01 Dated 08th March 2019 प्राप्त कर लिये गये हैं। उक्त प्रमाण पत्र के आधार पर M/s Anoop Industries द्वारा निर्मित CNG KIT Identification –AIEG BSVI (Engine cm³ Range—748.5 to 1247.5) को in use पेट्रोल चालित वाहन मॉडल Maruti K10(998 cc) में रिट्रोफिटमेंट कर प्रस्तुत की गयी, जिसका संयुक्त निरीक्षण सहायक परिवहन आयुक्त एवं सम्भागीय निरीक्षण (प्राविधिक) देहरादून द्वारा किया गया। उक्त सी0एन0जी0 किट एवं सिलेण्डर/वाल्व का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है:—

- 1-Detail of Kit Manufacturer/ Supplier/ Installer-** M/s Anoop Industries, A-53/7 Rama Road, Industrial Area, Delhi-110015
2-CNG Kit Identification no- AIEG BSVI
3- CNG Cylinder (DOE Approved/Endorsed):

Name of Manufacturer	M/s Everest kanto cylinder Ltd.	M/s Jay Fe Cylinder Ltd.	M/s Rama Pvt. Cylinder Ltd.	M/s Lizer Cylinder Ltd.	M/s Sahuwala High Pressure Cylinder Pvt. Ltd.
Identification no	B2F60C-44605	JAY FE	RAMA	LIZER	ECON
Type	Cylindrical (CNG)	Cylindrical (CNG)	Cylindrical (CNG)	Cylindrical (CNG)	Cylindrical (CNG)
Max test Pressure (kg/cm ²)	340 kg/cm ²	340 kg/cm ²	340 kg/cm ²	340 kg/cm ²	340 kg/cm ²
Working Pressure (KG/cm ²)	204 kg/cm ²	204 kg/cm ²	204 kg/cm ²	204 kg/cm ²	204 kg/cm ²
Cylinder Capacity (water Equivalent)	60 ltr (316mm,356mm) 65 ltr (316mm,356mm) 70 ltr (356mm)	60ltr (317mm,356mm) 65 ltr (317mm,356mm) 70 ltr (317mm, 356mm) 75 ltr(317mm, 356 mm)	60 ltr (356mm,317mm) 65 ltr (356mm,317mm) 70 ltr (356mm) 75 ltr(356mm)	60 ltr (317mm,356mm) 65 ltr (317mm,356mm) 70 ltr (356mm) 75 ltr(356 mm)	60 ltr (316mm,356mm) 65 ltr (316mm,356mm) 70 ltr (356mm) 75 ltr(356mm)
Approval Reference from DOE	G3(42)523/ Dt:06-02-2006 G3(42)312/P/ 2018 Dt 24-09-2018	G.3(42) 557/I Dt-22/12/2009	G3(42)553/I DT-11-11-2010 G3(42)515/V Dt- 20-05-2011	G.3(42)536 Dt-18-3-2008 G.3(42)536/I Dt-10-12-2008	G3(42)544/III DT-06-05-2011 G3(42)544/I Dt- 24-12-2008

TR/ TR/23-V(2)/CNG KIT/2021

Page- 1 of 3

M/s M/s Anoop Industries.

CNG Kit Identification no- -AIEG BSVI (Engine cm³ Range—748.5 to 1247.5)

4- Cylinder Valve (DOE approved/endorsed):

Name of manufacturer	M/s Kamnath Engineers	M/s Batra Valves	M/s H.M Plastic
Model name/Identification No	KE/CNG/100	BV/CNG-1/100	HMP
Type	CNG Cylinder Valve	CNG Cylinder Valve	CNG Cylinder Valve
Working pressure (KG/Cm ²) Mpa	204 (kg/cm ²)	350 (kg/cm ²)	204 (kg/cm ²)
Max Test pressure (kg/cm ²) (Mpa)	260 (kg/cm ²)	204 (kg/cm ²)	260 (kg/cm ²)
Approval reference form DOE	G-3(40)240 Dt 03/01/2018	G-3(40)87 Dt 24/10/2017	G-3(40)225 Dt 02/04/2018

5. ICAT, Manesar द्वारा प्रदत्त Layout plan Approval certificate no- Layout Plan Approval Certificate no CAO-0235 L01 Dated 08th March 2019 में उक्त सीएनजी किट एवं सिलिंडर/वाल्व को निम्न मॉडल वाहन पर लगाये जाने के उल्लेख किया गया है:-

Sl. No.	Approved Vehicle Model	Engine CC	ICAT Certificate No.	Vintage of Vehicles
1	Wagon R VXi BS4	998	CAOA-0235 Dated 20 Feb 2019	01 st April 2010 till 31 st March 2013
2	Chevrolet Beat	1199	CAOA-0235L01 Dated 08 March 2019	
3	Chevrolet Spark	995		
4	Chevrolet Aveo U-VA	1150		
5	Fiat Palio Stile	1108		
6	Fiat Grand Punto	1172		
7	Ford Figo	1196		
8	Honda Amaze	1198		
9	Honda Brio	1198		
10	Honda Jazz	1198		
11	Hyundai Eon	814		
12	Hyundai Getz	1086		
13	Hyundai i10 1.1	1086		
14	Hyundai i10 1.2	1197		
15	Hyundai i20 Magna	1197		
16	Hyundai Santro Xing	1086		
17	Hyundai Santro	1086		
18	Maruti A Star	998		
19	Maruti Alto K10	998		
20	Maruti Alto	796		
21	Maruti EECO (5 Seater)	1196		
22	Maruti EECO (7 Seater)	1196		
23	Maruti EECO CARGO	1196		
24	Maruti OMNI (5 Seater)	796		
25	Maruti OMNI (8 Seater)	796		
26	Maruti OMNI CARGO	796		
27	Maruti Ritz	1197		
28	Maruti Swift	1197		
29	Maruti Swift Dzire	1197		
30	Maruti Zen Estilo	998		
31	Nissan Micra	1198		

TR/ TR/23-V(2)/CNG KIT/2021
M/s M/s Anoop Industries.
CNG Kit Identification no- -AIEG BSVI (Engine cm³ Range—748.5 to 1247.5)

[Handwritten Signature]

32	Renault Pluse	1198	CAOA-0235L01 Dated 08 March 2019	01 st April 2010 to 11 31 st March 2013
33	Skoda Fabia	1198		
34	Tata Indica Vista	1172		
35	Tata Indica Xeta	1193		
36	Tata Indigo .CS	1193		
37	Toyota Etios Liva	1197		
38	Volkswagen Polo	1198		

अतः उक्त सी०एन०जी० किट/सिलेंडर/वाल्व को प्रोटोटाइप एजेन्सी द्वारा अनुमोदित विशिष्टताओं के अनुसार उपरोक्त 38 मॉडल वाहनों पर रिट्रोफिटमेंट निम्नलिखित प्रतिबन्धों एवं शर्तों के अधीन किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है:-

1. किट रिट्रोफिटमेंट के साथ वाहन में लगाये जाने वाले ऑटो सीएनजी टैंक एवं मल्टीफंक्शन वाल्व के सुरक्षित होने के सम्बन्ध में सीसीओई के प्रमाण-पत्र की प्रति विक्रय के समय क्रेता को उपलब्ध करायी जाएगी, जिसे क्रेता द्वारा पंजीयन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।
2. वाहन में किट रिट्रोफिटमेंट किट निर्माता की अधिकृत कार्यशाला अथवा वाहन विनिर्माता द्वारा ही लगायी जायगी। इस प्रकार की कार्यशालाओं को जी०एस०टी० प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।
3. किट के स्पेसिफिकेशन अथवा ले आउट में किसी प्रकार का परिवर्तन हाने पर इसकी सूचना सम्बन्धित प्रोटोटाइप एजेन्सी को तत्काल देनी होगी और पुनः टाइप एप्रूवल प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा।
4. किट के सम्बन्ध में सुरक्षा प्राविधान केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम 115ख के बिन्दु (ड) के एनेक्जर IX एआईएस०24 और एआईएस०28 (आरईवी-1) में समय-समय पर यथा संशोधित -विनिर्धारित सुरक्षा सम्बन्धी अपेक्षाओं का अनुपालन किया जायेगा।
5. प्रत्येक किट स्थापित करने वाला (kit installer) यह सुनिश्चित करेगा कि लगायी जाने वाली किट सुरक्षित है तथा लगाये गये फ्यूल टैंक एवं मल्टीफंक्शन वाल्व के सम्बन्ध में सीसीओई प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लिया गया है।
6. ऑटो सीएनजी टैंक वाहन में स्थायी रूप से स्थापित किया जायेगा।
7. ऑटो सीएनजी टैंक निर्माता के स्पेसिफिकेशन के अनुरूप ही लगाया जायेगा।
8. प्रोटोटाइप एजेन्सी से अनुमोदित किट का वाहन में रिट्रोफिटमेंट के पश्चात् विनिर्माता द्वारा वाहन स्वामी को सर्विस, मैनुअल आर्वतक निरीक्षण और अनुरक्षण की निर्देशिका, सर्विस, मरम्मत अनुरक्षण हेतु पर्याप्त बुनियादी संरचना प्रदान की जायेगी।
9. किट निर्माता द्वारा किट उपयोगकर्ताओं का समुचित प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की जायेगी।
10. किट निर्माता द्वारा केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम 115ख के बिन्दु (च) के एनेक्जर X के उपबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
11. किट निर्माता द्वारा सीएनजी किट के रिट्रोफिटमेंट के समय मोटरयान अधिनियम, 1988 केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 एवं उत्तराखण्ड मोटरयान नियमावली, 2011 की व्यवस्थाओं का अनुपालन करना होगा।

12. किट निर्माता द्वारा मोटर वाहन में विधिमान्य तरीके से किट रिट्रोफिटमेंट न किये जाने और या विधि की व्यवस्थाओं का अनुपालन सुनिश्चित न करने की दशा में अनुमोदन रद्द कर दिया जायेगा।
13. मोटर वाहनों में किट रिट्रोफिटमेंट के सम्बन्ध में किट निर्माता द्वारा परिवहन विभाग के संक्षेप अधिकारी द्वारा अपेक्षित सूचनाओं को निर्धारित समय के भीतर उपलब्ध कराना होगा। साथ ही इस विषय में परिवहन आयुक्त द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।
14. किट निर्माताओं द्वारा अनुमोदन प्राप्त किट ही वाहनों में फिट की जाएगी और ऐसी किट का विवरण सम्बन्धित पंजीयन अधिकारी द्वारा पंजीयन प्रमाण पत्र में प्रविष्ट किया जाएगा।

संलग्न:- प्रोटोटाईप प्रमाण पत्र की प्रति।

(डा० अनीता चमोला)
सहायक परिवहन आयुक्त,
उत्तराखण्ड।

संख्या- ६२६ /TR/CNG/2021 तददिनांकित।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को अनुपालनार्थ हेतु प्रेषित।

- 1-समस्त सम्भागीय/सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी, उत्तराखण्ड।
- 2-समस्त संभागीय निरीक्षक (प्राविधिक) उत्तराखण्ड।
- 3-सम्बन्धित पत्रावली।
- 4- M/s Anoop Industries, A-53/7 Rama Road, Industrial Area, Delhi-110015

(डा० अनीता चमोला)
सहायक परिवहन आयुक्त,
उत्तराखण्ड।